278

Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1

समक्ष–न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुर्नरीक्षण प्रकरण क्रमांक................../2016 R 164-I-17

आवेदकगण– 1. गोपाली वल्द दुर्जन चमार
निवासी ग्राम हिरवारा तहसील व जिला कटनी

विरूद्ध

अनावेदक– म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र–अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदकगण मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 794/बी–121/2015–16, में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 से व्यथीत होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदकगण ग्राम **हिरवारा** जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक की ग्राम **हिरवारा** प0ह0नं0 32/51, रा0नि0मं0 **पहाड़ी**, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **1181** रकवा **0.60** हे0 भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज स्वामी है। **खसरा एवं ऋणपुस्तिका की छायाप्रति संलग्न है, जो पी–1 है।**
3. यह कि, उपरोक्त भूमि आवेदकगण के दादा **श्री महेशा वल्द कोदू निवासी ग्राम हिरवारा तह0 व जिला कटनी** को वर्ष 1984 के पूर्व पट्टे पर प्रदान की गई थी जिन्हें पट्टा प्राप्ति से 10 वर्ष पश्चात् नियमानुसार भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिस्वामी दर्ज किया गया।

ह0 गोपाली

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 164/एक/2017 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.1.17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला कटनीके प्रकरण क्रमांक 15/अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम हिरवारा, प.ह.न. 51/32 रा.नि.म. पहाड़ी तहसील व जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 1181 रकवा 0.60 हे0 के भूमिस्वामी एवं मालिक आवेदक है। उक्त भूमि आवेदक के पिता महेश वल्द कोदू को वर्ष 1980 के पूर्व शासन से पट्टे पर प्रदान की गयी थी जिसमें 10 वर्ष के पश्चात् म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 158 (3) के अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे। जिनकी मृत्यू उपरांत उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम वारसान हक में दर्ज किया गया है। किन्तु राजस्व अभिलेख के कॉलम नं. 12 में अहस्तातंरणीय शब्द अंकित है, जिसे विलोपित किये जाने हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तत्समय अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त था किन्तु पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 से आदेशित किया गया है कि आवेदक की भूमि शासन से प्राप्त होने के कारण खसरा के कॉलम नं. 12 में "शासन से प्राप्त अहस्तातंरणीय" की प्रविष्टी यथावत् रखी जाये। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस	

न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला कटनी के द्वारा आवेदक को प्रकरण में सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है और आदेश की आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी।

5– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पिता महेश वल्द कोदू को वर्ष 1980 के पूर्व शासन से पट्टे पर प्रदान की गयी थी। जिस पर 10 वर्ष पश्चात् म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 158 (3) के अनुसार भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके है। तत्पश्चात् उनकी मुत्यू उपरांत वारसान हक में आवेदक का नाम दर्ज किया गया, किन्तु खसरा अभिलेख में कॉलम नं. 12 पर अहस्तांतरणीय शब्द अंकित कर दिया गया है जिसे हटाया जाना चाहिये। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2014 आर.एन. 196 में निर्धारित किया है कि 10 वर्ष पश्चात् भूमि विक्रय किये जाने की दशा मे भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है, एसी स्थिति में खसरा के कालम नंबर 12 में दर्ज अहस्तांतरणीय पृविष्टि का कोई औचित्य नही है। किन्तु उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है वह हस्तक्षेप किये जाने योग्य है एवं राजस्व अभिलेखो में अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टी विलोपित किये जाने का निवेदन किया।

6– म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को

में यह बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत विचार करने के पश्चात् भूमि के खसरा अभिलेख कालम नं. 12 में अहस्तांतरणीय प्रविष्टी यथावत् रखे जाने का आदेश दिया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7— उभयपक्ष अभिभाषको के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो, न्यायदृष्टांतों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का पट्टा आवेदक के पिता महेश वल्द कोदू को वर्ष 1980 के पूर्व दिया गया था। तत्पश्चात् पट्टा ग्राहिता की मृत्यू उपरांत राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम वारसान हक में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अहस्तातरणीय प्रविष्टी को विलोपित किये जाने की स्थिति में शासन से प्राप्त भूमि का विक्रय किये जाने की पूर्ण संभावना होती है जो संहिता की धारा 165 (7क) के विपरीत है। इसलिये अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टी यथावत् रखी गयी है। जबकि वर्ष 2014 आर.एन.196 में निर्धारित किया गया है कि धारा 165(7ख) तथा 158(3) का लागू होना पट्टेदार को वर्ष 1980 तथा दिनांक 28.10.1992 के संशोधन के पूर्व भूमिस्वामी हो गया, ऐसी भूमि के विक्रय के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। धारा 165(7ख) में भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया। उपबंध आकर्षित नहीं होते, ऐसी भूमि के राजस्व अभिलेखो में अहस्तातंरणीय शब्द कायम रखे जाने का कोई विधिक कारण नहीं है। इस संबंध में जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, जिला कटनी द्वारा पारित किया गया है वह विधिवत् नही होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 794/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016

त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कटनी, जिला कटनी को ग्राम हिरवारा प.ह.नं. 51/32 रा.नि.म. पहाड़ी तहसील कटनी जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 1181 रकवा 0.60 हे0 के खसरा अभिलेख के कॉलम नं. 12 में दर्ज "अहस्तांतरणीय" प्रविष्टी को विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

सदस्य